मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 66400/97

करनाल में सरकार ने इंटरनेट सेवा बंद की	3
राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में बनायी थी निर्वासित सरकार	4
जातिवार जनगणना कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं	5
यूपी चुनाव पर जिन्ना का साया	6
क्या शराब माफ़िया से निपट पायेंगे सीपी ?	8

वर्ष 35 | अंक 44 | फरीदाबाद | 12-18 सितम्बर 2021 | फोन-8851091460 | ₹3.00

करनाल में किसान अड़े : खट्टर गरजे तो बहुत जोर से लेकिन बरसने से घबरा गये

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

दहाड़ क्यों रहे हो, क्योंकि मुख्यमंत्री हूं; तो बिल में क्यों छिप रहे हो, क्योंकि मैं खट्टर हूं। ठीक ऐसा ही कुछ करनाल के मौजूदा किसान आन्दोलन में देखने को मिल रहा है।

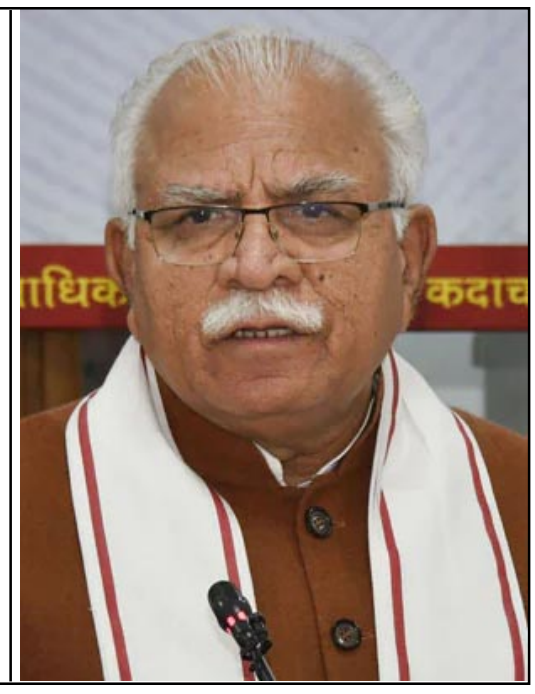

करनाल :बसताड़ा टोल पर हुए बर्बर लाठीचार्ज को लेकर किसानों ने 7 सितम्बर को करनाल के लघु सचिवालय को घेरने की घोषणा की थी। इस घोषणा से पहले किसानों ने सरकार से सिर फ़ोड़ने का आदेश देने वाले आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 व 307 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करने व मृतक परिवार को 25 लाख व एक नौकरी आदि की मांग की थी। सरकार द्वारा इसे ठुकरा दिये जाने के बाद किसानों ने लघु सचिवालय घेरने का एलान किया था।

यह एक विशुद्ध राजनीतिक मामला था जिसे राजनीतिक तौर तरीकों से सुलझाया जाना चाहिये था। परन्तु राजनीति के खेल में शुरू से अनाड़ी साबित होते आ रहे खट्टर ने इसे ताकत यानी पुलिस बल के भरोसे सुलझाने का निर्णय लेते हुए धारा 144 लागू करके भारी भरकम पुलिस बल तैनात कर दिया। उन्होंने पूरी दहाड़ मारते हुए अपनी खोखली शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कहा कि 1 डीआईजी, 5 एसपी, 25 डीएसपी के साथ 40 कम्पनी पुलिस के अलावा केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की भारी तैनाती कर दी है। इस से पूरा शहर छावनी में बदल गया। जगह-जगह नाके लगा दिये गये। पुलिस बल शहर भर में ठीक वैसे ही गश्त करने लगे जैसे एक बन्दर काम के नाम पर एक डाल से दूसरी डाल पर कूद-फांद करता है। इससे पूरा शहर सकते में आ गया।

लेकिन बंदर की कूद-फांद जैसी पुलिसिया कवायद से किसान कतई नहीं घबराये और 7 तारीख को अपने घोषित कार्यक्रम के अनुसार अनाज व सब्जी मंडी में बारिश के बावजूद एकत्रित होने लगे। शाम होते तक यह संख्या लाखों तक पहुंच गयी। यानी उक्त वर्णित भारी-भरकम पुलिस बल सरकार द्वारा नाफ़िज धारा 144 तक को नहीं बचा पाया। लगता है, अपने अल्प ज्ञान के चलते, खट्टर जी ने सोचा होगा कि धारा 144 आप में ही इतनी शक्तिशाली होती है कि जनता को जमा होने से रोक देती है। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि इस आदेश के पीछे सरकार की वह ताकत होती है जो लोगों को रोकती है। दिन भर खट्टर का प्रशासन किसानों की बढ़ती भीड़ को निहारता रहा। दोपहर बाद प्रशासन ने उनके प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिये बुलाया जिसके विफल होने के बाद शाम करीब 5 बजे किसानों ने लघु सचिवालय की ओर मार्च शुरू किया। चार लेन वाली दिल्ली-चण्डीगढ़ सड़क पर, चंडीगढ़ की ओर जाने वाली सड़क पर करीब 7-8 किलोमीटर लम्बा जुलूस बन गया। किसानों की संख्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जुलूस का एक सिरा लघु सचिवालय पहुंच गया था जबकि दूसरा सिरा अभी अनाज मंडी में ही था। दोनों ओर का यातायात एक ही सड़क पर यानी चंडीगढ़-दिल्ली वाली पर कर दिया गया था।

अनाज मंडी में दिन भर चले भाषणों को सुनने वाले बताते हैं कि किसान पूरी तरह से चार्ज व उग्र रूप धारण किये हुए थे। उन्हें यह कहते भी सुना गया कि उस दिन यानी बसताड़ा टोल पर वे बिल्कुल निहत्थे व आराम से बैठे थे, किसी तरह का कोई तनाव न था। उसके बावजूद बिना किसी उकसावे के पुलिस ने उनके सिर फोड़ दिये, हाथ-पैर तोड़ दिये। आज वे पूरी तरह से तैयार होकर आये हैं और देखेंगे कि खट्टर के पालतू खाकी लठैतों में कितना दम है।

गौरतलब है कि पुलिस के लठैत केवल तभी तक टिक पाते हैं जब तक सामने वाला कमजोर हो, यदि सामने वाले संख्या बल में उनसे 20-25 गुणा अधिक हो, तो ये खाकी लठैत एकदम से भाग खड़े होते हैं। रही बात अर्द्ध सैनिक बलों की तो उनके पास लाठी-डंडे तो होते नहीं, केवल बंदूक होती है और भाग वे इसलिए नहीं सकते कि उन्हें इलाके की कोई जानकारी होती नहीं, लिहाजा वे सीधी गोली चलाते हैं। ऐसे में वे डयूटी मैजिस्ट्रेट को अपने घेरे में एक प्रकार से बंधक बनाकर रखते हैं ताकि वह आदेश से मुकरे नहीं। खट्टर प्रशासन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अर्द्ध सैनिक बलों को आगे करता, लिहाजा बिना किसी विरोध के किसान एक के बाद दूसरे बैरिकेटस को तोड़ते हुए आगे बढ़ते चले गये। हां लघु सचिवालय पर जरूर पुलिस ने पानी की धार किसानों पर मारी थी जिसे राकेश टिकैत ने घर पर आने वाले मेहमानों के स्वागत में पानी छिड़कना बताया।

बीते सात साल में खट्टर की ऐसी छीछा-लेदर कोई पहली बार नहीं हुई। इससे चंद माह पहले हिसार में जब वे नकली से कोविड अस्पताल का ड्रामा करने गये थे तो किसानों ने उन्हें बुरी तरह से खदेड़ा था।

उससे पहले घरोंडा के क्षेत्र में पूरे पुलिसिया जोर लगाने के बावजूद उनका हेलिकॉप्टर किसानों ने उतरने नहीं दिया तथा पूरा पंडाल वे मंच आदि सब जनता ने तहस-नहस कर दिया था। उनकी मुख्य जाट बैसाखी दुष्यंत चौटाला की अपनी खुद की हालत इतनी पतली है कि वे कार से तो क्या हेलिकॉप्टर से भी अपने जाट बाहुल क्षेत्रों के आसपास तक नहीं फटक सकते। यदि खट्टर महाशय में थोड़ी भी राजनीतिक सूझबूझ होती तो वे इस समस्या को सुलझाने के लिए खाकी लठैतों की बजाय राजनीतिक चातुर्य का सहारा लेते। लेकिन वह चातुर्य न तो बाजार से मिलता और न ही संघ की शाखाओं में।

आलीशान भवनों से 'सौंदर्य' बढ़ाने के लिए खोरी को उजाड़ा गया

फ़रीदाबाद (म.मो.) खोरी की जिस बस्ती को अवैध बता कर तोड़ा गया है वह दरअसल उन गरीब मज़दूरों की थी जिन्हें कभी यहां खदानों व क्रैशरों में काम करने के लिये लाकर बसाया गया था। अब यहां न खदाने रही और न ही क्रैशर, ऐसे में इन ग़रीब मज़दूरों का यहां क्या काम? दूसरे, जब ये लोग यहां बसाये गये थे तो इस ज़मीन की यहां कोई कीमत नहीं थी लेकिन आज यह ज़मीन बेशकीमती हो चुकी है। इस ज़मीन से सट कर दो पंचतारा होटल बने हुए हैं तथा थोड़ा हट कर हरियाणा सरकार का मशहूर पर्यटन स्थल सूरजकुंड व उसका पंचतारा होटल राजहंस बना है।

इतनी खूबसूरत एवं आलीशान ऐयाशगाहों के बीच ग़रीबों की यह बस्ती मखमल में टाट के पैबंद की मानिंद खटकती थी। इसे उजाड़ने के लिये जिस पीएलपीए (पंजाब लैंड प्रोटेक्शन एक्ट) 1900 की आड़ ली गयी है, क्या वह केवल इसी बस्ती के लिये बनाया गया था? क्या इस से सटे उक्त दोनों होटल, सुरजकुंड पर्यटन स्थल व अन्य आलीशान इमारतें इस दायरे में नहीं आती? बखूबी आती हैं। दरअसल पीएलपीए का दायरा खींचने वाली कलम शासक वर्गों के अपने हाथ में होती है, वे जब चाहें जैसे चाहें अपनी कलम को घुमा सकते हैं।

विदित है कि पीछले दिनों खट्टर सरकार ने पीएलपीए को तोड़-मरोड़ कर, यह क्षेत्र बिल्डरों के हवाले करने की तैयारी पूरी कर ली थी। अपने बहुमत के बल पर उन्होंने इस बाबत विधानसभा में बिल पारित करवा कर गवर्नर के हस्ताक्षर भी करवा लिये थे। पर्यावरण विदों एवं कुछ जागरुक नागरिक संगठनों के हो हल्ले का संज्ञान लेते हुये माननीय उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा सरकार को हरकाते हुये खबरदार किया कि वह अरावली के जंगलात के साथ छेड़छाड़ न करें।

समझने वाली बात यह है कि जनता द्वारा चुनी हुई एक सरकार ने अपने बहुमत के बल पर, तमाम जनविरोधों के बीच जंगलात को बेच खाने का कानून पास कर दिया। लेकिन इसे इत्तफ़ाक कहिये कि उच्चतम न्यायालय के किसी जज को खट्टर सरकार की यह जनविरोधी चाल पसंद नहीं आई और उन्होंने इस पर स्थगण लगा दिया। अब देखने वाली बात यह है कि जब कोई जज स्थगण लगा सकता है तो कोई दूसरा, आने वाले समय में उसे हटा भी सकता है। जिस व्यवस्था में मुनाफ़ाखोरी, लूट-खसूट इस हद तक व्याप्त हो कि

शेष पेज दो पर